



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265772
CG-DL-E-29082025-265772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]
No. 233]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2025/भाद्र 5, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025/BHADRA 5, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025
सं. 20/2025-26

विषय: खाद्य उत्पादों से संबंधित सिओन का निरस्त करने के संबंध में।

फा.सं. 01/85/00137/एएम-26/डीईएस.VI—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में उल्लिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं।

2. इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में सिओन के अंतर्गत उत्पादों के निर्यात में शामिल संस्थाएं पैरा 4.03(ख) (ii) अथवा 4.03 (ख) (iii) अथवा पैरा 4.03(ख)(iv) में लागू प्रावधानों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: अनुलग्नक 'क' में दिए गए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

अजय भादू, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव
(1)

अनुलग्नक "क"

सिओन संख्या	निर्यातमद
ई-1	असोर्टेड कन्फेक्शनरी
ई-4	टिन शीट से बनेटिन कंटेनर में भरा बेकिंग पाउडर
ई-5	बिस्कुट (ड्राई फ्रूट्स केसाथ या बिना ड्राई फ्रूट्स के)
ई-7	कैसीन (खाद्य ग्रेड)/कैसिनेट
ई-38	चावल/गेहूं/चिकन बिरयानी/सब्जी बिरयानी/ सब्जी पुलाव/जीराचावल/ज्वार/बाजरा
ई-46	चाय, फिल्टरपेपर, माइलर स्ट्रिंग और पॉलीकोटेडटैग युक्त टी बैग्स
ई-75	मक्का स्टार्च पाउडर
ई-76	लिक्विड ग्लूकोज
ई-77	डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट
ई-100	संशोधित स्टार्च
ई-101	कॉर्नग्लूटेन
ई-102	सोर्बिटोल
ई-127	रिफाईंड सरसों का तेल (खाद्य ग्रेड)
ई-132	नमकीन/मिक्सचर्स/सैवरीज़
ई-133	माल्टेड मिल्क फूड

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th August, 2025

No. 20/2025-26

Subject: Suspension of SIONs pertaining to food products-reg.

F.No. 01/85/00137/AM-26/DES.VI—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby suspends Standard Input Output Norms (SIONs) mentioned at Annexure "A" to this Public Notice with immediate effect.

2. The entities engaged in export of products under SIONs in Annexure to this Public Notice may apply for benefits under the Advance Authorisation interms of provisions in Para 4.03(b) (ii) or 4.03 (b) (iii) or Para 4.03(b)(iv) as applicable.

Effect of this Public Notice: The Standard Input Output Norms (SIONs) at Annexure "A" are suspended with immediate effect.

AJAY BHADOO, Dir. General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy .

Annexure “A”

SION No.	Export Item
E-1	Assorted Confectionery
E-4	Baking Powderfilledin Tin container made out of tin sheet
E-5	Biscuits(with or without dry fruits)
E-7	Casein(Edible Grade)/ Caseinates
E-38	Rice/ Wheat/ Chicken Biryani/ Vegetable Biryani/ VegetablePulao/ ZeeraRice/ Jawar/ Bajra
E-46	TeaBags containing Tea, FilterPaper, Mylar String and Polycoated Tag
E-75	MaizeStarchPowder
E-76	LiquidGlucose
E-77	DextroseMonohydrate
E-100	ModifiedStarch
E-101	CornGluten
E-102	Sorbitol
E-127	Refined Mustard Oil (Edible Grade)
E-132	Namkeens/ Mixtures/ Savouries
E-133	Malted Milk Food